दिनांक कायम या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप में	विशेष विवरण
14/6/2024	पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपस्थित। पत्रावली वास्ते पेशी [illegible] दिनांक 11/7/2024 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	
11/7/24	पत्रावली पेश हुई। पीठासीन साहब अन्य [illegible] है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 8/8/24 को पेश हो।	
8/8/24	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। प्रतिवादी बावजूद रजिस्टर्ड डाक सूचना अनुपस्थित। प्रतिवादी के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही की जाती है। पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी हेतु दिनांक 20/9/24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	
20/9/24	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी हाजिर। वादी ने साक्ष्य पेश नहीं कर बहस अंतिम हेतु निवेदन किया। बहस अंतिम सुनी गई। वादी का वाद स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.02.17 16:52:45 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय (सांगानेर),जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस
दावा प्रार्थना पत्र : 170/2022
निर्णय दिनांक 20.09.2024

1. किरण मीणा पत्नि श्री सूरजप्रकाश मीणा आयु 46 वर्ष जाति मीणा निवासी ग्राम टोडीरमजानीपुरा जगतपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

वादिया

बनाम

1. गजराज सिंह मीणा पुत्र श्री बनियाराम मीणा जाति मीणा निवासी मकान नम्बर 1–ए केसर विहार, सुरज कुण्ड रोड तहसील चाकसू जिला जयपुर।

प्रतिवादी

वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा एवं सीमा ज्ञान अन्तर्गत काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

वादीया की ओर से पेश वाद का विवरण इस प्रकार है कि वादीया के स्वामित्व, अधिकार की कब्जेशुदा खातेदारी कृषि भूमि साबिक खसरा नम्बर 237 रकबा 0.30 हैक्टेयर नये खसरा नम्बर 428/237 रकबा 0.14 हैक्टेयर ग्राम टोडीरमजानीपुरा पटवार हल्का जगतपुरा भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र लुनियावास तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित है जो राजस्व रिकार्ड में वादीया के नाम दर्ज है उक्त भूमि को वादीया के द्वारा जरिये विकय पत्र दिनांक 22.06.2006 को विक्रय की समस्त औपचारिकताये पूर्ण करते हुये अपने नाना ससुर श्री रिद्धनारायण करोल से खरीद की हुई है जिसमें वादीया का 14/30 हिस्सा होकर जिसका तकासमा भी हो चुका है, जिस पर वादीया एवं उसका परिवार काबिज चला आ रहा है उक्त वर्णित भूमि के एक हिस्से, जिसे वाद पत्र के साथ सलग्न नजरिये नक्शें में वर्णित को, इस वादपत्र में वादग्रस्त भूमि से संबोधित किया गया है जो आडी–तिरछी लाईनों से दर्शित है उक्त नक्शा वाद पत्र का अभिन्न अंग है। वादीया उक्त वर्णित आराजी कृषि भूमि साबिक खसरा नम्बर 237 रकबा 0.30 हैक्टेयर नये खसरा नम्बर 428/237 रकबा 0.14 हैक्टेयर वाके ग्राम टोडीरमजानीपुरा पटवार हल्का जगतपुरा भू–अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र लुनियावास तहसील सांगानेर जिला जयपुर की रिकार्डेड खातेदार है तथा अपने हिस्से पर काबिज है । उक्त वर्णित विवादित भूमि पर प्रारम्भ से ही वादीया का कब्जा रहा है वादीया के पति श्री सूरजप्रकाश मीणा के द्वारा वादग्रस्त सम्पत्ति के पास प्लाट नम्बर 131 व 132 को जरिये विकय पत्र दिनांक 05.10.2005 से खरीद कर उनकी पूर्वी से पश्चिमी सीमा को वादीया की रजिस्ट्रीकृत भूमि के साथ वादग्रस्त स्थल तक उसको पुख्ता निर्मित बाउण्ड्रीवाल के साथ महदूद किया हुआ है जिसको सलग्न नजरिये नक्शें में ए से बी तथा सी से डी भाग पर दर्शाया हुआ है। वादीया द्वारा कब्जे में होकर उक्त वर्णित भूमि के पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिणी कोने को पुख्ता निर्माण करवाकर महफूज किया हुआ है जिसमें वर्णित वादग्रस्त भूमि के एक भाग पर जिसे सलग्न नजरिये नक्शें में आडी तिरछी लाईनों से दर्शित किया गया है। वादीया के द्वारा पशुओं को बांधने व उनको रखने का स्थान, गोबर की रोडी, पानी के टैंक का निर्माण, टीनपोश कमरे, कच्चा पक्का निर्माण, आने जाने की जगह कर कदीम से वादग्रस्त भूमि का निरंतर एवं निविघ्न रूप से लगातार उपयोग व उपभोग करती चली आ रही है। दिनांक 21.06.2022 को प्रतिवादी वादग्रस्त भूमि पर आया और आते ही वादीया एवं उसके पति के साथ अभद्र भाषा का

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.02.17 16:52:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

जोश करते हुये गाली गलौच करने लगा और धमकी भरे अंदाज में कहने लगा कि जिस भूमि पर तुम कब्जा करके बैठे हो भले ही उस पर मेरा कब्जा ना हो परन्तु यह भूमि मेरी है मैं तुम्हारे निर्माण को यहां से हटा कर ही जाउंगा और फोन करके अपने जैसे ही 03–04 गुण्डे किस्म के व्यक्तियों को मौके पर बुला लिया और वादीया व उसके परिवारजन को झुठे मुकदमों में फंसाने की धमकी देकर कहने लगा कि यह आवासीय कॉलोनी है जिस पर ... विहार योजना सृजित है समिति ने मेरे प्लाट को रिवाईज कर छोटा कर दिया है जो मुझे कतई स्वीकार नही है मुझे मेरे छोटे प्लाट की कोई कीमत नही देगा जिसकी आड में मैं आपकी भूमि पर कब्जा करके उसको अपने छोटे से भूखण्ड में सम्मिलित करके उसको वापस बढ़ाकर बड़ा करके औने पौने दामों में बेचकर रहूंगा तुम यहां से जल्दी ही अपना कब्जा खाली कर दो वर्ना अंजाम बुरा होगा मेरी उपर तक पहुँच है तो इस पर वादीया के द्वारा प्रतिवादी व उसके साथ खडे 03–04 व्यक्तियों से कहा कि आपका वादग्रस्त भूमि पर कभी कब्जा ही नही रहा है तो यहा आपका प्लाट होना व उसके छोटे बडे होने का तो प्रश्न ही उत्पन्न नही होता आप यहां क्यो आये हो यह भूमि आपकी नही है यह भूमि हमारी रजिस्ट्रीशुदा भूमि है और इस पर तो हम कदीम से काबिज है और इस भूमि का निरंतर उपयोग व उपभोग कर रहे है तथा इस पर पुख्ता बाउण्ड्रवॉल है इतना सुनते ही प्रतिवादी व उसके साथ आये गुण्डा किस्म के व्यक्तियों के द्वारा वादग्रस्त भूमि पर हुये कच्चे पक्के निर्माण को तोडते हुये वादीया व उसके परिवारजन को जान से मारने की धमकी दी इस पर वादीया के द्वारा तुरन्त पुलिस में जाने की कही तो प्रतिवादी व उसके साथ आये गुण्डा किस्म के व्यक्ति मौके पर से भाग गये और जाते–जाते वादीया को धमकी देकर गये की आज नही तो कल वादग्रस्त भूमि से वादीया को जबरन दादागीरी के बल पर बेदखल कर अवैध कब्जा कर लेंगें तुम्हे जो भी करना हो कर लेना। प्रतिवादी एक भू–माफिया किस्म के व्यक्तियो के सम्पर्क में है जो वादीया की उपरोक्त वर्णित भूमि जिस पर वादीया काबिज है पर एकराय होकर अन्य असामाजिक तत्वो को साथ लेकर वादीया को जबरन वैदखल कर कब्जा करने पर आमादा है। वादीया प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से माननीय न्यायालय से पाबंद करवाने का अधिकारी है कि वह वाद पत्र की चरण संख्या 02 में वर्णित भूमि पर या उसके किसी भी भाग पर जबरन अवैध कब्जा ना करे कोई कच्चा पक्का निर्माण ना करे वादीया की रिकार्डेड खातेदारी भूमि से जिस पर वादीया विक्रय पत्र दिनांक 22.06.2006 के अनुसार उसके पति द्वारा मय पुख्ता बाउण्ड्रीवाल चारो ओर काबिज है को जबरन बेदखल न करे, न अन्य किसी से करावे वादीया के वादग्रस्त सम्पत्ति के किसी प्रकार के उपयोग व उपभोग में बाधा कारित न करे, न अन्य किसी से करावे, किसी प्रकार का मजाहमत (निर्माण) आदि न करे, न अन्य किसी से करावे। वाद कारण दिनांक 21.06.2022 को तब उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादी ने वादीया को वाद पत्र की चरण संख्या 02 में वर्णित आराजीयात पर आकर गाली गलौच करने, वादीया के निर्माणात को तोडने वादीया को जबरन बेदखल कर अवैध कब्जा करने तथा वादग्रस्त भूमि को अपनी भूमि में सम्मिलित करने तथा वादीया को जान से मारने की धमकी देने से उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है। उक्त वर्णित आराजी ग्राम टोडीरमजानीपुरा पटवार हल्का [illegible] भू–अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र लुनियावास तहसील सांगानेर जिला जयपुर [illegible] माननीय न्यायालय को इस वाद का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.02.17 16:52:45 IST
Reason: SelfAttested

अतः वाद पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद बहक वादीया विरूद्ध प्रतिवादी निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे।

(क) वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा सम्पूर्ण रूप से डिक्री फरमाकर साबिक खसरा नम्बर 237 रकबा 0.30 हैक्टेयर नये खसरा नम्बर 428/237 रकबा 0.14 हैक्टेयर में वादीया के हिस्से पर या उसके किसी भी भाग पर जिसे सलग्न नजरिये नक्शा में आडी तिरछी

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

लाईनों से दर्शित किया हुआ है पर, जिस पर क्रय करने के समय से ही वादीया कबिज है जिसका जो निष्पादित विक्रय पत्र दिनांक 22 जून 2006 में वाके स्थित ग्राम टोडीरमजानीपुरा पटवार हल्का जगतपुरा भू–अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र लुनियावास तहसील सांगानेर जिला जयपुर जिस पर वादीया रिकार्डेड काश्तकार के रूप में काबिज है, मैं प्रतिवादी किसी प्रकार से वादीया के शान्ति पूर्वक उपयोग व उपभोग में बाधा कारित न करे, न किसी अन्य से करावे, वादीया को जबरन बेदखल न करे, न अन्य किसी से करावे, वादग्रस्त आराजीयात व उसके किसी भी भाग पर अवैध कब्जा ना करे, किसी प्रकार का मजाहमत (निर्माण) कार्य आदि नही करे, न अन्य किसी से करावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादी बावजूद रजिस्टर्ड डाक सूचना अनुपस्थित होने पर प्रतिवादी के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गयी।

बहस वादीया पत्रावली में सुनी गई, दौराने बहस वादीया ने वाद में अंकित तथ्यों को दौहराया एवं अंत में निवेदन किया कि खसरा नम्बर 237 रकबा 0.30 हैक्टेयर नये खसरा नम्बर 428/237 रकबा 0.14 हैक्टेयर में वादीया के हिस्से की भूमि पर या उसके किसी भी भाग पर जिसे सलग्न नजरिये नक्शा में आडी तिरछी लाईनों से दर्शित किया हुआ है पर, जिस पर क्रय करने के समय से ही वादीया कबिज है जिसका जो निष्पादित विक्रय पत्र दिनांक 22 जून 2006 में वाके स्थित ग्राम टोडीरमजानीपुरा पटवार हल्का जगतपुरा भू–अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र लुनियावास तहसील सांगानेर जिला जयपुर जिस पर वादीया रिकार्डेड काश्तकार के रूप में काबिज है, में प्रतिवादी किसी प्रकार से वादीया के शान्ति पूर्वक उपयोग व उपभोग में बाधा कारित न करे, न किसी अन्य से करावे, वादीया को जबरन बेदखल न करे, न अन्य किसी से करावे, वादग्रस्त आराजीयात व उसके किसी भी भाग पर अवैध कब्जा ना करे, किसी प्रकार का मजाहमत (निर्माण) कार्य आदि नही करे, न अन्य किसी से करावे।

हमने वकील वादिया अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया जाने पर वादिया का वाद स्वीकार किया जाता हैं। वादिया द्वारा पेश वाद पत्र में अंकित किया है कि विवादग्रस्त स्थान संलग्न नजरिये नक्शा में आडी तिरछी लाईनों से दर्शित किया हुआ है। अतः प्रतिवादी को सीमाज्ञान होने पर सीमाचिन्ह निर्धारित होने पर प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जाता है कि वादिया के खसरा नम्बर 428/237 जो नजरी नक्शे में दर्शित भूमि है उनमें दखल नही देवे इस हेतु प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक को 20.09.2024 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.02.17 16:52:45 IST
Reason: SelfAttested

(हिम्मत सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर–द्वितीय (साँगानेर),
जयपुर